संख्या-48/2021/ 1752ई-2/तेरह-2021-480290

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः02 सितम्बर,2021

विषय- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, जनपद गोरखपुर को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 300 कि.ली. प्रतिदिन शीरे पर आधारित प्लान्ट में से 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को अनाज(ग्रेन) से एथॅनाल एवं ई.एन.ए.उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-18/दो-प्रा.डी.-126 दिनांक 26-07-2021 एवं पत्र संख्याःजी-33/दो-प्रा.डी.-126 दिनांक17-08-2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य, सचिव आबकारी विभाग,उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय से सम्बधित निर्गत कार्यवृत संख्याःः1666 ई-2/तेरह-2021 दिनांक 25-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, जनपद गोरखपुर की अधिष्ठापित क्षमता 300 कि.ली. प्रतिदिन में से 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरे पर आधारित प्लान्ट को पूर्ण रूप से अनाज से 75 प्रतिशत एथॅनाल एवं 25 प्रतिशत ई.एन.ए.उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवनी में स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के अनाज पर प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत इकाई द्वारा अनाज से एथनॉल , ई.एन.ए. उत्पादन के परिपेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य तक स्थापित करने उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवथानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिपेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।